पटना में दिनांक–15 फरवरी, 2017 बुधवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

1.	मधुबनी जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र निर्माण हेतु 17.876 एकड़ चयनित रैयति भूमि) के अधिग्रहण के लिए प्राक्कलित राशि ₹ 84,72,12,578 (चौरासी करोड़ बहत्तर लाख बारह हजार पाँच सो अठहत्तर रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 तथा अनुवर्ती वर्षों में करने के संबंध में।	1.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

2.	बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017 की स्वीकृति के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

3.	श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण–पक्ष) के नियंत्रणाधीन 02 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वित्तीय वर्ष 2016–17 में "पूर्व से स्थापित संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना" योजनान्तर्गत 03 विभिन्न व्यवसायों के कुल 12 यूनिटों की स्थापना एवं 12 व्यवसाय अनुदेशकों के पद सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	3.	स्वीकृत।

कृषि विभाग

4.	केन्द्रीय योजनागत योजना नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई केन्द्रांश की राशि 671.10 लाख रूपये एवं उसके समानुपातिक राज्यांश की राशि 447.40 लाख रूपये कुल 1118.50 लाख रूपये की निकासी हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से 1118.50 लाख रूपये (ग्यारह करोड़ अठारह लाख पचास हजार रूपये) अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।	4.	स्वीकृत।

कृषि विभाग

5.	केन्द्र प्रायोजित योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेंकानाईजेशन के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई केन्द्रांश की राशि 1403. 04 लाख रूपये एवं उसके समानुपातिक राज्यांश की राशि 935.36 लाख रूपये कुल 2338.40 लाख रूपये की निकासी हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से 2338.40 लाख रूपये (तेईस करोड़ अड़तीस लाख चालीस हजार रूपये) अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

	खान एवं भूतत्व विभाग		
6.	बिहार राज्य अन्तर्गत बिहार खान एवं भूतत्व सेवा नियमावली, 2008 के अध्याय–4 नियम–14 में संशोधन।	6.	**स्वीकृत।**
	उद्योग विभाग		
7.	वित्तीय वर्ष 2016–17 में बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2016 अन्तर्गत भेन्चर फन्ड हेतु ₹ 5,000.00 लाख (पचास करोड़) मात्र की स्वीकृति का प्रस्ताव।	7.	**स्वीकृत।**
	भवन निर्माण विभाग		
8.	भवन निर्माण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही "अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन केन्द्र" का नाम "सम्राट अशोक कन्वेंशन केन्द्र" करने के संबंध में।	8.	**स्वीकृत।**
	स्वास्थ्य विभाग		
9.	डॉ० जमीरूद्दीन अहमद, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, एम०जे०के०अस्पताल, बेतिया सम्प्रति सिविल सर्जन कार्यालय, खगड़िया को लगातार पाँच वर्षों से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव।	9.	**स्वीकृत।**
	स्वास्थ्य विभाग		
10.	डा० जहूर एकराम, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल सीतामढ़ी के लगातार पाँच वर्षों से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव।	10.	**स्वीकृत।**
	पंचायती राज विभाग		
11.	श्री माखन लाल मजुमदार (भा०प्र०से० सेवानिवृत्त), पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन ₹ 900.00 (नौ सौ रूपया) मात्र की राशि पर दिनांक–01.01.2009 के प्रभाव से इस तिथि के पूर्व से असंशोधित (50 प्रतिशत डी०ए० मर्जर रहित) वेतन पर लागू महँगाई दरों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित दरों पर महँगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में।	11.	**स्वीकृत।**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

12. तत्कालीन नोडल विभाग (जल संसाधन विभाग) के पत्रांक–7287 दिनांक–08.12.11 के द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के लिए संविदा पर नियोजन हेतु अनुशंसित एवं द्वितीय पुनर्नियोजित (जिनकी संविदा अवधि जुलाई, 2016 में समाप्त हो गयी) कुल–16 (सोलह) कनीय अभियंता (असैनिक) (सूची संलग्न) को रू० 27,000/–(सताइस हजार) मासिक परिश्रमिक पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा पर तृतीय पुनर्नियोजन की स्वीकृति के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

13. जहानाबाद जिलान्तर्गत काको अंचल के मौजा–भदसेरी, थाना सं०–606, खाता सं०–409, खेसरा सं०–755, रकबा–0.70 एकड़ गैरमजरूआ आम छवर भूमि 1,00,000/–(एक लाख) रू० प्रति डिसमिल की दर से 70,00,000/–(सत्तर लाख) रू० सलामी एवं सलामी के पांच प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात् 87,50,000/–(सतासी लाख पचास हजार) रू० पूंजीकृत मूल्य सहित कुल–1,57,50,000/–(एक करोड़ सनतावन लाख पचास हजार) रू० के भुगतान पर विद्युत शक्ति उपकेन्द्र निर्माण हेतु साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के सबंध में। — 13. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

14. नालन्दा जिलान्तर्गत सिलाव अंचल के मौजा–मोहनपुर, थाना नं०–424, खाता सं०–164, खेसरा सं०–694 एवं 673, रकबा क्रमशः–0.02 एवं 0.09 कुल रकबा–0.11 एकड़ गैरमजरूआ मालिक ठीकेदार भूमि यथास्थिति में राष्ट्रीय उच्च पथ सं०–82 के चार लेन निर्माण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

15. सुपौल जिलान्तर्गत सुपौल अंचल के मौजा–सुपौल के खाता नं०–773, थाना नं०–215 के विभिन्न खेसरा की भूमि कुल रकबा–8.15 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न) पर अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

16.	नालन्दा जिलान्तर्गत सिलाव अंचल के मौजा–कूल, थाना नं०–425, खाता सं०–204, खेसरा सं०–1095, रकबा– 0. 065483 एकड़ गैरमजरूआ मालिक किस्म परती कदीम भूमि यथास्थिति में राष्ट्रीय उच्च पथ सं०–82 के चार लेन निर्माण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	16.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

17.	सुपौल जिलान्तर्गत सुपौल अंचल के मौजा–सुपौल के खाता नं०–1242, खेसरा नं०–493, रकबा–0.62 एकड़ (बासठ डिसमिल) अनावाद बिहार सरकार की भूमि को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अन्तर्गत पावरग्रीड सब स्टेशन के निर्माण हेतु 2,70,000/–(दो लाख सत्तर हजार) रू० प्रति डिसमिल की दर से 1,67,40,000/–(एक करोड़ सरसठ लाख चालीस हजार) रू० सलामी तथा सलामी के 5 प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात 2,09,25,000/–(दो करोड़ नौ लाख पच्चीस हजार) रू० पूंजीकृत मूल्य सहित कुल–3,76,65,000/– (तीन करोड़ छिहत्तर लाख पैंसठ हजार) रू० के भुगतान पर नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	17.	स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

18.	वित्तीय वर्ष 2015–16 में 26 वन प्रमंडलों के अधिनिस्थ कुल 10977 कृषकों द्वारा निजी भूमि पर रोपित अन्य प्रजाति के 92.556 लाख पौधों के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक उक्त कृषकों को संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुरूप प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु पथ तट फार्म योजनान्तर्गत कुल ₹ 2406.46 लाख (चौबीस करोड़ छः लाख छियालीस हजार रूपये) मात्र की लागत पर योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹ 721.94 लाख (सात करोड़ इक्कीस लाख चौरानवे हजार रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव।	18.	स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

19. वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2019–20 तक राज्य के विभिन्न वन प्रमंडलों के अधीन विभिन्न प्रक्षेत्रों में प्रखण्डवार चयनित पथ तटों पर बसंतकालीन वृक्षारोपण के तहत कुल 533.50 कि०मी० की लंबाई में 616500 पौधा लगाने हेतु पथ तट फर्म योजना अन्तर्गत कुल ₹ 2160.76 लाख (इक्कीस करोड़ साठ लाख छिहत्तर हजार ₹) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय हेतु मात्र ₹ 439.71 लाख (चार करोड़ उनचालीस लाख एकहत्तर हजार ₹) की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 19. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

20. राघोपुर दियारान्तर्गत गंगा नदी के दायें धार के बायें किनारे एवं बायें धार के दायें एवं बायें किनारे स्थित विभिन्न बिन्दुओं पर कटाव निरोधक कार्य हेतु ₹ 4268.25 लाख (बयालीस करोड़ अड़सठ लाख पच्चीस हजार) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। — 20. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

21 मोकामा टाल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण का कार्य। (एजेन्डा सं०–138/67) प्राक्कलित राशि– 18850.00 लाख रू० (अठारह हजार आठ सौ पचास लाख रूपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। — 21. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

22. बक्सर कोईलवर गंगा तटबंध के कि०मी० 69.24 से कि०मी० 74.63 एवं कि०मी० 86.30 से कि०मी० 87.37 के बीच गैप भराई तथा कि०मी० 69.24 से 90.53 के बीच पॉच अदद AFS का निर्माण कार्य तथा बक्सर कोईलवर गंगा तटबंध तथा पश्चिमी गांगी के दायॉ तटबंध के मिलन स्थल पर सुरक्षात्मक कार्य। (एजेण्डा सं०–138/04) प्राक्कलित राशि–4058.52 लाख रू० (चालीस करोड़ अंठावन लाख बावन हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। — 22. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

23. चंदन जलाशय योजना के पुनर्स्थापन कार्य अंतर्गत डैम का सुरक्षात्मक कार्य, सुखनिया वीयर, डकाई वीयर तथा अन्य संरचनाओं का पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण कार्य तथा वितरण प्रणालियों का पुनर्स्थापन कार्य (प्राक्कलित राशि ₹ 5732.55 लाख (संतावन करोड़ बत्तीस लाख पचपन हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव। — 23. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

24. किशनगंज जिला के किशनगंज प्रखण्ड अन्तर्गत प्रस्तावित ए०एम०यू० एवं पुलिस लाईन के पास बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य (प्राक्कलित राशि रू० 4386.35 लाख) (तैतालिस करोड़ छियासी लाख पैतीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 24. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

25. कोसी बराज के डाउन स्ट्रीम में कुल 17 कि०मी० लम्बाई में (नेपाल भाग में 11.20 कि०मी० एवं भारतीय भाग में 5.80 कि०मी०) नेचुरल चैनल का सक्रियण एवं मेन्टेनेन्स ड्रेजिंग कार्य (एजेण्डा सं०–DSB/HW/03/2017) के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। प्राक्कलित राशि :–₹ 3546.59 लाख (पैंतीस करोड़ छियालिस लाख उनसठ हजार) मात्र है, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 25. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

27. भोजपुर जिलान्तर्गत डेढुआ स्थित सोन संदेश पम्प नहर योजना का विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य (प्राक्कलित राशि ₹ 39.89 लाख (उन्चालीस लाख नवासी हजार रूपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव। — 27. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

28. नालन्दा जिलान्तर्गत सिलाव अंचल के मौजा–माहुरी, थाना नं०–432, खाता सं०–221, खेसरा सं०–02 एवं 10, रकबा क्रमशः–0.0185 एवं 0.0546 एकड़ कुल रकबा– 0.0731 एकड़ गैरमजरूआ मालिक भूमि यथास्थिति में राष्ट्रीय उच्च पथ सं०–82 के चार लेन निर्माण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — 28. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

29. नालन्दा जिलान्तर्गत सिलाव अंचल के मौजा–सिलाव, थाना नं०–420, खाता सं०–374 के खेसरा सं०–739, 765, 766 एवं 1115, रकबा क्रमशः–0.022, 0.575, 0.057 एवं 0.320 एकड़ तथा खाता सं०–253 के खेसरा सं०–596, 1862, 1880, 1446, 1447, 1449, 1451, 1464 एवं 1705, रकबा क्रमशः–0.32, 0.014, 0.081, 0.16, 0.0017, 0.086, 0.03, 0.032 एवं 0.023 एकड़, कुल रकबा–1.7217 एकड़ गैरमजरूआ मालिक भूमि यथास्थिति में राष्ट्रीय उच्च पथ सं०–82 के चार लेन निर्माण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — 29. स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

30. श्री पंकज कुमार गुप्ता, तत्कालीन साख आयोजन–सह –ग्रामीण विकास विशेषज्ञ, जिला योजना कार्यालय सिवान सम्प्रति सहायक निदेशक, क्षेत्रीय योजना कार्यालय, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — 30. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

32. एम०जे०सी०संख्या–1438/2015 शिव शंकर प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक–24.01.2017 को पारित आदेश के अनुपालन में श्री शिव शंकर प्रसाद सिंह, व्याख्याता (व०वे०), श्री सुशील कुमार मिश्र, व्याख्याता (व०वे०), श्री अवधेश प्रसाद सिंह, व्याख्याता (व०वे०) एवं श्री शैलेश बिहारी पाण्डेय, व्याख्याता (व०वे०) को कैरियर संवर्द्धन योजना के अन्तर्गत व्याख्याता प्रवर कोटि में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले आदेश से अच्छादित होने के शर्त्त के साथ प्रोन्नति दिये जाने के संबंध में। — 32. स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

33. खरीफ विपणन मौसम 2016–17 के अन्तर्गत राज्य में धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम (15.11.16 से 31.03.17) तथा सी०एम०आर० कार्यक्रम (15.11.16 से 31.07.17) के लिए बिहार राज्य खाद्य निगम को कार्यशील पूँजी के रूप में विभिन्न बैंकों से लिए जाने वाले ऋण कुल 2,000.00 करोड़ रूपये (दो हजार करोड़ रूपये) की राशि के लिए सरकार की गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में। — 33. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

34. केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अंतर्गत बेतिया, सासाराम, डेहरी, कटिहार एवं सहरसा नगर निकायों के जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 46284.95 लाख रू० (चार अरब बासठ करोड़ चौरासी लाख पंचानवे हजार रू० मात्र) अनुमानित लागत व्यय एवं योजना की प्रशासनिक स्वीकृति। — 34. स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

35. संविदा पर नियोजित चालक सिपाही के संकल्प सं०–2401, दिनांक–18.07.2007 के द्वारा निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् 11 माह के लिए संविदा की अवधि विस्तार की स्वीकृति के संबंध में। — 35. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

37. बिहार जुडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट रूल्स, 2017 की स्वीकृति के संबंध में। — 37. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

38.	बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 में संशोधन।	38.	स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

39.	श्री कृष्ण कुमार यादव, अधीक्षक (संविदा), राजकीय अतिथिशाला, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०–10000, दिनांक–10.07.2015 के आलोक में नियोजन का एक वर्ष के लिये 28.02.2018 तक अवधि विस्तार के संबंध में।	39.	स्वीकृत।